

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण कं- 216 / 2017  
संस्थित दिनांक- 05.07.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

तसवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह  
उम्र 35 साल निवासी ग्राम नाऔनी  
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 20.04.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 25.04.2017 को समय 17:30 बजे से 17:35 बजे स्थान वीरसिंह यादव के मकान के सामने पंचम नगर चंदेरी, लोक मार्ग पर टी.वी.एस. स्पोर्ट्स मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 08 एम0एफ0 1131 को बिना डाईविंग लाइसेंस एवं बिना बीमा के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर फरियादी लक्ष्मण उर्फ संजू राजा की पुत्री छाया को मोटरसाईकिल से टक्कर मार कर साधारण उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.2017 को शाम करीब 05 बजे लक्ष्मण अपने घर के बाहर खड़ा था उसकी लडकी छाया जिसकी उम्र 5 साल थी, पण्डित जी की दुकान पर टोफी लेने जा रही थी, कि बस स्टेण्ड तरफ से एक मोटरसाईकिल एम0पी0 08 एम एफ 1131 टी.वी.एस. स्पोर्ट्स को एक सरदार चला रहा था, जिस पर तीन लोग बैठे थे, बहुत तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और लक्ष्मण की लडकी छाया में टक्कर मार दी, जिससे बच्ची गिर गई, जिससे उसके दाहिने हाथ की कोहनी में चोट होकर खून निकल आया व बाये घुटने के उपर चोट होकर नीच का निशान आया, घटना दीपक बाजपेई और अन्य लोगों ने देखी। फरियादी लक्ष्मण द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-182/2017 अंतर्गत धारा-279, 337 भा0द0वि0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.04.2018 को फरियादी लक्ष्मण उर्फ संजू राजा द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 337 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 शमनीय

प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04- अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.04.2017 को समय 17:30 बजे से 17:35 बजे स्थान वीरसिंह यादव के मकान के सामने पंचम नगर चंदेरी में टी.वी.एस. स्पोर्ट्स मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 08 एम0एफ0 1131 को लोक मार्ग पर उपेक्षा और उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापित्त किया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन क्रमांक टी.वी.एस. स्पोर्ट्स मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 08 एम0एफ0 1131 को लोक मार्ग पर बिना डायविंग लाईसेंस रहते हुये चलाया ?
3.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन क्रमांक टी.वी.एस. स्पोर्ट्स मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 08 एम0एफ0 1131 को लोक मार्ग पर बिना बीमा रहते हुये चलाया ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ,?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02, 03 व 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06:- सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये साक्षी दीपक (अ0सा0-01) व फरियादी लक्ष्मण सिंह उर्फ संजू राजा (अ0सा0-02) के कथन न्यायालय में कराये गये। अभियोजन साक्षी दीपक (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के बाद भी इस साक्षी ने अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है अतः घटना के संबंध में मात्र फरियादी लक्ष्मण सिंह उर्फ संजू राजा (अ0सा0-02) के कथन अभिलेख पर है। जिसका सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

- 07:- फरियादी लक्ष्मण सिंह उर्फ संजू राजा (अ0सा0-02) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है, घटना पिछले वर्ष अप्रैल माह की शाम 05-05:30 बजे की है। फरियादी के अनुसार वह अपने घर के बाहर खड़ा था तथा उसकी छाया घर के बाहर सामान लेने गई थी, तो एक मोटरसाईकिल वाले ने उसकी लडकी को गिरा दिया था और वहां से भाग गया, जिससे उसकी लडकी के पैर व हाथ में गिरने से चोट आई थी, जिसके बाद किसी के फोन करने से पुलिस मौके पर आ गई थी।
- 08:- फरियादी लक्ष्मण सिंह उर्फ संजू राजा (अ0सा0-02) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन कि घटना वर्ष 2017 के अप्रैल माह के 05-05:30 बजे की है तथा उस समय फरियादी अपने घर के बाहर खड़ा था और उसकी लडकी दुकान पर सामान लेने गई थी तो मोटरसाईकिल से टक्कर लगने से उसकी लडकी को पैर व हाथ में उपहति कारित हुई थीं, कि पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 में उल्लेखित घटना से होती है, जिसको बचाव पक्ष की ओर से भी कोई चुनौती नहीं दी गई। अतः लक्ष्मण सिंह उर्फ संजू राजा (अ0सा0-02) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उपरोक्त बिंदुओं पर अभियोजन घटना का समर्थन करते हैं तथा उक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे।
- 09:- अब मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि वास्तव में जिस मोटरसाईकिल से फरियादी की लडकी की टक्कर मारी थी, उक्त मोटरसाईकिल अभियुक्त की थी तथा अभियुक्त ही उसे उपेक्षा व लापरवाही से चला रहा था अथवा नहीं। इस संबंध में लक्ष्मण सिंह उर्फ संजू राजा (अ0सा0-02) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि मोटरसाईकिल को अभियुक्त नहीं चला रहा था उसे कोई लडका चला रहा था, जिसे उसने देखा था। अतः लक्ष्मण सिंह के अनुसार उसकी लडकी छाया को जिस मोटरसाईकिल चालक ने टक्कर मारी थी उसे अभियुक्त नहीं चला रहा था।
- 10:- लक्ष्मण सिंह (अ0सा0-02) अपने न्यायालीन कथनों में पुलिस को रिपोर्ट लेख कराना तथा मोटरसाईकिल नंबर M.P. 08 M.F. 1131 अपनी रिपोर्ट में लेख कराने से ही इन्कार करता है तथा इस साक्षी का कहना है कि पुलिस ने मौके पर ही आकर कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर करा लिये। जिस पर इस साक्षी ने प्रदर्श पी-02 की रिपोर्ट व नक्शा मौका प्रदर्श पी-03 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी को पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा उसका विस्तृत परीक्षण किया गया है। जिसमें फरियादी का अभियोजन के विरुद्ध यह स्पष्ट कहना है कि उसने पुलिस को मोटरसाईकिल नंबर M.P. 08 M.F. 1131 नहीं बताया था और न ही घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल अभियुक्त चला रहा था। यहां तक की फरियादी घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल भी टी.वी.एस. स्पोर्ट्स न होकर बजाज की होना बताता है।

- 11:- अतः लक्ष्मण सिंह (अ0सा0-02) के द्वारा दिये गये कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि वर्ष 2017 में अप्रैल माह में समय 05-5:30 बजे फरियादी घर के बाहर खड़ा था तथा उसकी लडकी छाया दुकान से सामान लेने जा रही थी, तो एक मोटरसाईकिल चालक ने उसे टक्कर मारकर उपहति कारित की थी, परन्तु स्वयं फरियादी लक्ष्मण सिंह (अ0सा0-02) के द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि जिस मोटरसाईकिल से घटना कारित हुई वह टी.वी.एस. स्पोर्ट्स की मोटरसाईकिल होकर उसका नंबर M.P. 08 M.F. 1131 था तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल को अभियुक्त तस्वीर सिंह चला रहा था।
- 12:- प्रकरण में अभियुक्त से मोटरसाईकिल M.P. 08 M.F. 1131 जप्त की गई है जिसे अभियुक्त ने न्यायालय से सुपुर्दगी पर प्राप्त किया है। उक्त मोटरसाईकिल अभियुक्त के नाम से पंजीकृत है तथा उसे पुलिस ने अभियुक्त ने जप्त किया है और अभियुक्त ने न्यायालय से उक्त मोटरसाईकिल को सुपुर्दगी पर प्राप्त किया है इस तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई। यहां तक अभियुक्त ने अपने परीक्षण में भी स्वयं इस प्रकरण में पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल जप्त किया जाना स्वीकार किया है। घटना दिनांक को मोटरसाईकिल का ड्रायविंग लाईसेंस एवं बीमा था ऐसी कोई प्रतिरक्षा बचाव पक्ष की नहीं है।
- 13:- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर भले ही प्रकरण में हुये राजीनामें एवं साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने के बाद यह प्रमाणित न होता हो कि अभियुक्त तस्वीर सिंह ने दिनांक 25.04.2017 को समय 17:30 बजे से 17:35 बजे स्थान वीरसिंह यादव के मकान के सामने पंचम नगर चंदेरी में टी.वी.एस. स्पोर्ट्स मोटरसाईकिल क्रमांक M.P. 08 M.F. 1131 को लोक मार्ग पर उपेक्षा और उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापित्त किया, परन्तु प्रकरण में अभियुक्त के अधिपत्य से मोटरसाईकिल की जप्ती एवं उसके द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की मोटरसाईकिल का ड्राइविंग लाईसेंस एवं बीमा प्रतिरक्षा स्वरूप प्रस्तुत न किया जाना यह प्रमाणित करता है कि अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्रमांक M.P. 08 M.F. 1131 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाईसेंस धारित किये हुये लोक मार्ग पर चलाया था।
- 14:- अतः अभियुक्त अभियुक्त तसवीर पुत्र सुखदेव के विरुद्ध लगे आरोप अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा.द.वि. की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त तसवीर पुत्र सुखदेव के विरुद्ध लगे आरोप अंतर्गत मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एवं 3/181 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित होने से उसे मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एवं 3/181 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 15:- अभियुक्त तसवीर पुत्र सुखदेव को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एवं 3/181 के आरोप में दोषसिद्ध कर दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अभियुक्त की आयु,

अपराध की प्रकृति, परिस्थिति एवं गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

- 16:- अभियुक्त तसवीर पुत्र सुखदेव को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अपराध का दोषी पाते हुये उसे न्यायालय उठने तक कारावास एवं 300/- (तीन सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 दिवस (एक दिवस) का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे। अभियुक्त को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध का दोषी पाते हुये उसे न्यायालय उठने तक कारावास एवं 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस (दो दिवस) का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 17:- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा टी.वी.एस. स्पोर्टस मोटरसाईकिल क्रमांक M.P. 08 M.F. 1131 पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी है। सुपुर्दगीनामा वाद मियाद अपील भार मुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

